भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2388
04.08.2025 को उत्तर के लिए

परिवर्तित की गई वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण परियोजनाएं

2388. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः
डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत गैर-वन उपयोग हेतु परिवर्तित किये गये कुल वन क्षेत्र का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों और पांचवीं अनुसूची के जिलों में वन भूमि के परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और
(ग) वर्ष 2021-2022 के दौरान मंजूरी प्राप्त प्रतिपूरक वनरोपण परियोजनाओं और तत्संबंधी वनरोपित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2025 की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार ने विभिन्न गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए 78,135.84 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

'भूमि' राज्य का विषय है। वन क्षेत्र और उनकी कानूनी सीमाओं का निर्धारण और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तदनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों और पाँचवीं अनुसूची के जिलों में वन भूमि के अपवर्तन से संबंधित प्रस्तावों का विवरण इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न वनेतर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण वन और इसकी पारिस्थितिक सेवाओं के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

****

		अनुलग्नक-I
"परिवर्तित की गई वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण परियोजनाएं" के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2388 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
श्रेणी : सभी श्रेणियाँ		**01.04.2021 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान**
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
1	अंडमान और निकोबार	104.14
2	आंध्र प्रदेश	1020.63
3	अरुणाचल प्रदेश	6561.47
4	असम	722.24
5	बिहार	631.31
6	चंडीगढ़	0.29
7	छत्तीसगढ	4092.01
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	53.36
9	दिल्ली	118.59
10	गोवा	182.91
11	गुजरात	4959.00
12	हरियाणा	1035.08
13	हिमाचल प्रदेश	1429.84
14	जम्मू और कश्मीर	868.19
15	झारखंड	4431.91
16	कर्नाटक	1385.38
17	केरल	174.95
18	लद्दाख	0.94
19	मध्य प्रदेश	17393.65
20	महाराष्ट्र	3603.62
21	मणिपुर	1720.11
22	मेघालय	33.46
23	मिजोरम	433.99
24	ओडिशा	11033.08
25	पंजाब	1600.31
26	राजस्थान	4180.06
27	सिक्किम	507.87
28	तमिलनाडु	98.38
29	तेलंगाना	670.86
30	त्रिपुरा	741.97
31	उत्तर प्रदेश	5480.43
32	उत्तराखंड	2365.28
33	पश्चिम बंगाल	500.53
कुल योग		**78135.84**

स्रोत: **https://parivesh.nic.in**

अनुलग्नक- II

"परिवर्तित की गई वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण परियोजनाएं" के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2388 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक वनीकरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	56.16	36.56	181.47	95.47	237.63	132.03
2	आंध्र प्रदेश	1326.32	485.11	2276.75	708.54	1827.75	311.12	8663.46	3471.88
3	अरुणाचल प्रदेश	12194	11608.44	4459.16	4458.67	3001.34	2858.42	21478.03	20719.46
4	असम	196.1	114.5	467.45	0	528.27	382.56	1191.82	1149.64
5	बिहार	384	0	0	0	1334.09	1321.09	3568.68	3171.67
6	चंडीगढ़	0.79	0.79	0.14	0.18	-	-	0.93	0.97
7	छत्तीसगढ	1404.687	1541.69	460.47	465.2	770.242	467.74	7941.59	7039.23
8	दिल्ली	24.49	23.02	71.95	72.06	45.17	37.34	190.91	179.96
9	गोवा	200	200	420	299	470	470	1330.00	1209.00
10	गुजरात	3646.72	3646.72	4584.53	4584.53	2004.94	2004.94	14103.32	14103.32
11	हरियाणा	1913.2961	1870.22	2306.12	1608.86	शून्य	शून्य	5803.08	5012.91
12	हिमाचल प्रदेश	1032	899	973	885	1315	888	4913.00	4073.00
13	जम्मू और कश्मीर	322	306	1499.54	1360.71	272.43	262.08	8097.97	6434.79
14	झारखंड	3713.52	3324.86	6327.687	3202.83	3,807.74	2789.84	21443.95	15739.27
15	कर्नाटक	516.81	522.77	715.01	715.01	718.4	720.29	2775.12	2761.26
16	केरल	60.632	42.84	151.5	0	170.3	117.26	433.06	171.80
17	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	21107.68	21746.82
18	मध्य प्रदेश	3924.1	3585.66	16365	3457.22	1416	5301.66	5730.62	4316.74
19	महाराष्ट्र	438.18	218.351	246.405	182.27	546.384	544.384	1759.84	666.94
20	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	514.76	114.56
21	मेघालय	शून्य	शून्य	367.89	114.56	146.87	0	2046.74	2570.24
22	मिजोरम	1303.78	1303.78	508.96	29.96	शून्य	शून्य	0	0
23	ओडिशा	3610.19	3501.45	6130.81	4632.86	1962.91	1628.66	19540.451	16964.78
24	पंजाब	692.57	644.995	864.411	800.38	993.873	940.38	4471.94	4019.72
25	राजस्थान	1757.52	808.52	700.352	444.79	2003.36	1365.4	9862.03	7377.15
26	सिक्किम	183.98	183.98	94.67	94.67	104.06	53.19	660.39	609.52
27	तमिलनाडु	0	0	146.38	82.57	113.82	0	262.39	84.76
28	तेलंगाना	3330.77	2490.07	2799.41	2052.71	918.771	551.12	17961.54	13686.57
29	त्रिपुरा	445.54	391.86	685.14	566.4	810.29	669.85	2608.11	2295.23
30	उत्तर प्रदेश	1103.64	1091.43	1631.9	1604.68	1414.99	1288.6	6096.70	5877.16
31	उत्तराखंड	2817.93	2738.62	2415	2448.71	2200	1697.24	13682.93	11812.89
32	पश्चिम बंगाल	782.89	282.03	397.54	106.17	321.65	139.92	1911.74	748.25